


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के व्यादेश सं०-758(1) दिनांक-13.07.2015 की कंडिका-9 एवं आवंटनादेश सं०-51(1)ब० दिनांक-12.08.2015 की कंडिका-8 में अंकित "इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी" के स्थान पर "इस राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जाएगी" पढ़ा जाय।

2- व्यादेश सं०-758(1) दिनांक-13.07.2015 की कंडिका-9 एवं आवंटनादेश सं०-51(1)ब० दिनांक-12.08.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3- राज्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।


(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/द०अ०-05/2015 - 1290(1) /स्वा०, पटना, दिनांक-20/11/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/ जिलाधिकारी, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य के आप्त सचिव/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/द०अ०-05/2015- 1290(1) /स्वा०, पटना, दिनांक-20/11/2015

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।